(वाद सं0– 7628/4/17/2021)

20.07.2022

प्रसंगाधीन मामला बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रूकमिणी गुप्त कन्या उच्च विद्यालय, बेलदौर, जिला–खगड़िया के प्रधानाध्यापक द्वारा वित्तीय वर्ष– 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, की विद्यालय अनुदान की राशि 10 (दस) शिक्षक एवं 03 (तीन) शिक्षकेत्तर कर्मी के बीच वितरण करने के बजाय मात्र 06 (छह) शिक्षक एवं 03 (तीन) शिक्षकेत्तर कर्मी के बीच वितरण कर राशि के गबन करन से सम्बन्धित परिवादी, रूपेश कुमार के परिवाद से सम्बन्धित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, खगड़िया से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदनानुसार ‘‘प्रसंगाधीन मामले की जाँच कराई गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रसंगाधीन विद्यालय दिनांक–17.10.2018 को श्रीमति रूकमिणी गुप्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के ज्ञापांक–2485/17 दिनांक–04.08.2017 के द्वारा प्राप्त अनुदान के आलोक में दिनांक–26.03.2008 के बाद विद्यालय में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुदान की राशि का भुगतान किये जाने पर रोक लगा दिया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई की गई। तत्पश्चात् दिनांक–13.02.2022 की विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति की बैठक में परिवादी, रूपेश कुमार, सहायक शिक्षक, धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक शिक्षक, विवेकानन्द साह, सहायक शिक्षक, एवं मो0 वसीउल्लाह को उनके निर्धारित सेवाकाल के दौरान किये गये कार्य से सम्बन्धित कार्य विवरणी व विभागीय पत्रों के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उनके कार्य के प्रति नाराजगी जताते हुए

तत्काल पद से मुक्त व अनुदान से वंचित करते हुए इसकी सूचना शिक्षा विभाग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को दी गई। प्रतिवेदनानुसार, शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक–25.08.2020 को जारी अधिसूचना में अनुदान वितरण से सम्बन्धित शिकायतों के लिए जिला अपीलीय प्राधिकार को प्राधिकृत किया गया है।

प्रसंगाधीन मामला सरकार के अनुदान राशि के वितरण से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में जिला अपीलीय प्राधिकार एक सक्षम प्राधिकार है। परिवादी को सलाह दी जाती है कि इस सम्बन्ध में जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष नियमानुसार परिवाद दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन (पृष्ठ 33–08/प0) प्रति के साथ परिवादी को भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक